# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 1373/2013/टोंक.**

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–III, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स छाबड़ा इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल एरिया मालपुरा, टोंक. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी व ईशु जैन, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**दिनांक : 14/07/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 13/वैट/11–12/टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25, 75(6), 75(8) व 61 व 55 के तहत् पारित किये गये आदेश दिनांक 17.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के **तथ्य संक्षेप** में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 05.05.2011 को प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया था एवं उपलब्ध माल का भौतिक सत्यापन किया गया था। भौतिक सत्यापन पर सरसों एवं तारामीरा तेल लेखा–पुस्तकों में संधारित स्टॉक से अधिक पाया जाने से उस पर अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति आरोपित की गयी एवं सरसों तेल एवं सरसों की खल कम पाये जाने पर उस पर 5 प्रतिशत से कर एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गयी जिससे व्यथित होकर अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर समस्त कर, ब्याज एवं शास्ति अपास्त किये गये, जिससे क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बिना किसी अध्ययन के अपास्त किया गया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिक आधारों पर पारित किया गया था जो सर्वेक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों के आधार पर किया गया आदेश था जिसमें स्टॉक की गणना की जाने पर सरसों एवं तारामीरा तेल अधिक पाया गया था जबकि सरसों तेल एवं सरसों खल कम पाये गये थे जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 75(8) एवं धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की गयी थी एवं कर की वसूली की गयी थी। कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को बिना किसी आधार के स्वीकार किया है अतः अपीलीय आदेश निरस्त योग्य होने से अपील स्वीकार योग्य बताई गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना उचित वजन किये ही जो माल की भौतिक गणना में अन्तर बताया है वह पूर्णतया अनुचित है एवं इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि करने पर जोर दिया है। इसके अलावा कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा बिना दो स्वतंत्र गवाहों के ही जांच पूरी की गयी है एवं इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह माना गया है कि श्री भागचंद जैन जो कि फर्म मालिक के बड़े भाई हैं, उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता है, इसी तरह श्री बजरंगलाल माली को स्वतंत्र गवाह नहीं माना है क्योंकि वह प्रत्यर्थी फर्म का ही नौकर था अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा नियम 51 के तहत प्रदत्त प्रक्रिया की पालना नहीं किया जाना स्वीकार करते हुए समस्त कार्यवाही को अविधिक माना है अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में जो अभियोग बनाया गया है वह सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध स्टॉक की गणना करने के पश्चात् उसका मिलान बहियात में दर्शाये गये स्टॉक से किये जाने पर उसमें वास्तविक स्टॉक से कम या अधिक पाये जाने पर आधारित है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश एवं जांच रिपोर्ट के अवलोकन पर यह पाया कि प्रत्यर्थी की समस्त बोरियों की भरती 83 किग्रा. मानते हुए गणना की गयी है जबकि इन

लगातार.....3

बोरियों में भरती 75 किग्रा. से लेकर 80 किग्रा. तक की थी इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा भी जांच रिपोर्ट पर यह तथ्य पाया कि जांच अधिकारी द्वारा समस्त बोरियों की भरती 83 किग्रा. मानते हुए गणना की गयी है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण खरीद बिलों की जांच पर यह पाया कि प्रत्येक खरीद बिलों में लगभग 70, 73, 74, 78, 79 किग्रा. तक की ही भरती दर्शाई गई है जिससे यह त्रुटि स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा बिना किसी तौल किये ही पूरी सरसों माल की गणना 83 किग्रा. प्रति बोरी से की गयी है जो गणना को गलत होना साबित करता है एवं इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह आपत्ति दर्ज कराई थी कि प्रति बोरी वजन 76 किग्रा. ही औसत रूप से प्राप्त होता है एवं इस सम्बन्ध में बिलों की कॉपियां भी प्रस्तुत की गयी थी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके आदेश के पृष्ठ संख्या 2 में स्वयं ने यह अंकित किया है कि बिलों में वजन एवं नग अंकित है परन्तु इससे यह मालूम नहीं होता है कि वह माल कट्टा है या बोरी है एवं यह भी अंकित किया है कि अलग—अलग बिलों में अलग—अलग वजन दर्शाया हुआ है एवं यह भी अंकित किया है कि उक्त सर्वेक्षण प्रत्यर्थी द्वारा बताई गई भरती के अनुसार ही उसे 83 किग्रा. माना गया था। कर निर्धारण अधिकारी का यह निष्कर्ष तथ्यों से आधारित नहीं है बल्कि केवल मौखिक रूप से बताये गये वजन के आधार पर उसकी गणना करते हुए भौतिक एवं लेखा—पुस्तकों की तुलना के आधार पर माल का कम या ज्यादा बताया जाना विधिसम्मत नहीं है। इस आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। फलतः सरसों के सम्बन्ध में अधिक माल के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति को उचित रूप से अपास्त किया है।

7. इसी तरह तारामीरा तेल के टैंक की अनुमान के आधार पर मूल्यांकन को मानकर जो शास्ति आरोपित की गयी है उसे भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है क्योंकि जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि माल का कोई वजन नहीं किया गया था बल्कि भराव क्षमता के आधार पर गणना करना बताया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इसी तरह सरसों तेल को घोषित स्टॉक से कम माने जाने को इस आधार पर गलत माना है कि व्यवसाय स्थल पर मौजूद दो छोटे टैंकों में रखे हुए तेल का भौतिक सत्यापन के दौरान बनाई गई रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था अतः उस आधार पर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त करने में भी कोई भूल नहीं की है। इसके अलावा रूपये 4,16,754/— की खल घोषित स्टॉक से कम मानकर जो कर एवं

लगातार.....4

शास्ति आरोपित की गयी है उस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर रखी गयी लूज खल जो 300 बोरी खल थी उसे गणना में शामिल नहीं किये जाने के आधार पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया है उस सम्बन्ध में भी पत्रावली की जांच पर यह पाया कि सरसों खल 468 बोरी वजन 65 किग्रा. अंकित करते हुए गणना करना बताया गया है वह भी उचित नहीं है क्योंकि भौतिक सत्यापन में किसी भी तरह का वजन करवाया जाना नहीं पाया गया है बल्कि समस्त बोरियों की एक समान वजन लेते हुए गणना की गयी है। इस तरह की गयी भौतिक गणना विधिक रूप से स्वीकृत नहीं की जा सकती एवं इस आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जो पत्रावली की जांच कर जो आदेश पारित किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से एवं समस्त प्रकरण तथ्यों पर आधारित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय उचित पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय आदेश में दिये गये वर्णन के विरूद्ध राजस्व की ओर से कोई भी साक्ष्य या बिन्दुवार विपरीत तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अपीलीय आदेश को अनुचित ठहरा सके।

8. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

14/7/2017

( के. एल. जैन )
सदस्य